राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 36 | मूल्य ₹5 .00, नई दिल्ली, मंगलवार, 16 जुलाई 2019 | www.jagran.com | पृष्ठ 14

तस्मै श्री गुरुवे नमः

सरोकार

राजस्थान में जल संरक्षण से विकास का 'चौका'

जयपुर : गुलाबी नगरी जयपुर से 90 किलोमीटर दूर स्थित लापोड़या गांव जल संरक्षण की चौका विधि के लिए दुनियाभर में विख्यात है। जब पूरा राजस्थान सूखे की मार झेल रहा होता है, इस गांव में हरियाली होती है। जल संरक्षण के जरिये गांव समृद्धि की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। (पेज-13)

जागरण विशेष

रुपहले पर्दे पर दिखेगा शूटर दादियों का संघर्ष

बागपत : जीवन के सात दशक पार करने के बाद पिस्तौल उठाकर पदकों की झड़ी लगाने वाली शूटर दादियों की बायोपिक बनकर तैयार है। फिल्म 'सांड़ की आंख' के जरिए दुनिया चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर के संघर्ष को जानेगी। (पेज-13)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

एनआइए कानून का दुरुपयोग नहीं होने देगी सरकार : शाह

नई दिल्ली : आतंकी हमलों की जांच के लिए गठित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को और अधिकार देने वाले बिल पर लोकसभा ने मुहर लगा दी है। एनआइए को साइबर क्राइम, मानव तस्करी से जुड़े मामलों की जांच का भी हक मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने एनआइए के दुरुपयोग की विपक्ष की आशंकाओं को बेबुनियाद बताया है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

हिमाचल में 24 घंटे में पूरा हुआ बचाव अभियान, 14 की मौत

सोलन : हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित कुमारहट्टी के पास चार मंजिला इमारत गिरने से दबे लोगों को बचाने का अभियान 24 घंटे बाद पूरा हो गया है। हादसे में मलबे में दबे 42 लोगों में से 14 की मौत हो गई, जबकि 28 को सकुशल निकाल लिया गया। मृतकों में में असम राइफल्स के 13 जवान शामिल है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 10

बीमा लेने का फैसला किसानों पर छोड़ने की तैयारी

नई दिल्ली : केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सदस्यता लेने का फैसला पूरी तरह से किसानों पर ही छोड़ने की तैयारी कर रही है। इसके लिए योजना में बदलाव पर विचार हो रहा है। इनमें सभी किसानों के लिए फसल बीमा को वैकल्पिक बनाना शामिल है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 11

हाफिज सईद को पाकिस्तानी अदालत ने दी अग्रिम जमानत

लाहौर : मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद और उसके तीन साथियों को पाकिस्तान की एक आतंक रोधी अदालत से सोमवार को अग्रिम जमानत मिल गई। अदालत ने मदरसे के लिए जमीन के अवैध उपयोग के मामले में चारों को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर 31 अगस्त तक अंतरिम जमानत प्रदान की है।

कोलेजियम प्रणाली पर संसद में उठे सवाल

वेंकैया बोले ▶ कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के अधिकारों पर चर्चा की जरूरत

सभी दलों के सांसदों ने एक सुर में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर दिया जोर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

शीर्ष न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली की पारदर्शिता पर सोमवार को संसद में सवाल उठे और इसमें बदलाव की मांग उठाई गई। लगभग सभी दलों के सांसदों ने एक सुर से सिविल सेवा की तर्ज पर निचली अदालतों में केंद्रीय न्यायिक सेवा के जरिये जजों की नियुक्ति की मांग का समर्थन किया। राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने इस मांग के प्रति सांसदों की गंभीरता को देखते हुए सदन में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारों और उनकी सीमाओं पर चर्चा की जरूरत बताई।

राज्यसभा में शून्यकाल में भाजपा सदस्य अशोक वाजपेयी ने कोलेजियम व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, इसमें जातिवाद, परिवारवाद से लेकर पेशेवर निकटता जैसे पहलुओं का बोलबाला रहता है। इसकी वजह से सामान्य परिवार से कानून के क्षेत्र में आए लोगों के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का जज बनना बेहद मुश्किल है। वक्त की जरूरत है कि शीर्ष न्यायपालिका की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया जाए। संविधान में कोलेजियम प्रणाली का कोई प्रावधान नहीं है इसीलिए इस व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा,हाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कोलेजियम प्रणाली पर सवाल उठाया था। उनका कहना था कि नियुक्तियां योग्यता के आधार पर नहीं की जा रही हैं। वाजपेयी ने सुझाव दिया कि सिविल सेवा की तरह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित केंद्रीय न्यायिक सेवा के जरिये नियुक्तियां की जाएं ताकि सामान्य परिवारों के लोग भी शीर्ष न्यायपालिका में जा सकें। उनकी मांग से राजद के मनोज कुमार झा, सपा के राम गोपाल यादव समेत पक्ष-विपक्ष के अधिकांश सांसदों ने सहमति जताते हुए खुद को संबद्ध किया। सभापति वेंकैया नायडू ने कहा,यह बेहद अहम मसला है। जिस तरह सदन में सदस्यों ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा पर सहमति दिखाई है, उसे देखते हुए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र और सीमाओं पर सदन में चर्चा की जरूरत है। ज्ञात हो, जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच खींचतान हो चुकी है। शीर्ष कोर्ट ने संसद में पेश न्यायिक जवाबदेही कानून को निरस्त भी कर किया था।

नई दिल्ली में सोमवार को संसद के उच्च सदन राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत करते सदन के सभापति एम. वेंकैया नायडू (टीवी ग्रैब)। एएनआइ

कर्नाटक विधानसभा में गुरुवार को होगा शक्ति परीक्षण

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक में पिछले दिनों से चल रहे सियासी घमासान का पटाक्षेप इस हफ्ते होने की उम्मीद है। कांग्रेस-जदएस गठबंधन सरकार की अगुआई कर रहे मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी गुरुवार को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। कांग्रेस और जदएस के 16 विधायकों के इस्तीफे के बाद उनकी सरकार पर संकट के बादल छा गए हैं। इस बीच, भाजपा ने दावा किया है कि वह अगले चार-पांच दिन में सरकार बना लेगी।

विधानसभा के स्पीकर केआर रमेश कुमार ने सोमवार को कहा, मुख्यमंत्री कुमारस्वामी गुरुवार सुबह ग्यारह बजे सदन में विश्वास मत प्रस्ताव रखेंगे। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सत्तापक्ष व विपक्ष के नेताओं के साथ बातचीत में विश्वास मत के लिए गुरुवार का दिन तय हुआ। साथ ही उन्होंने भाजपा की मांग पर विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक के बाद भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री येद्दयुरप्पा ने कहा, उनकी पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की बात कही थी। जिसके बाद सरकार द्वारा विश्वास मत प्रस्ताव पेश करने की तिथि तय हुई। वहीं, कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्दरमैया ने कहा, सरकार विश्वास मत प्रस्ताव पेश करने को तैयार है।

16 विधायकों ने सौंपा है इस्तीफा : दरअसल, कुमारस्वामी सरकार अल्पमत में आ गई है। कांग्रेस के तेरह और जदएस के तीन विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, स्पीकर ने अभी उनके इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं किया है। दो निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन वापसी का एलान करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मुंबई में होटल में ठहरे इन विधायकों के विश्वासमत के दौरान मौजूद रहने की संभावना कम ही है।

बागियों को मनाने के तमाम प्रयास विफल : कांग्रेस-जदएस की तरफ से बागी विधायकों को मनाने के प्रयास विफल रहे हैं। कहा जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद और अन्य नेता बागियों को मनाने के लिए उनसे होटल में मिल सकते हैं। लेकिन बागी विधायकों ने मुंबई पुलिस प्रमुख को पत्र लिखकर कांग्रेस के नेताओं से खतरा बता दिया। उन्होंने कहा है कि वो खड़गे, आजाद या कांग्रेस के अन्य किसी भी नेता से मिलना नहीं चाहते।

मतदान से दूर रह सकते हैं मुंबई के होटल में ठहरे बागी विधायक

बागी विधायकों ने कांग्रेस के बड़े नेताओं से बताया खतरा

बेंगलुरु में सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान अपने सहयोगियों से कुछ महत्वपूर्ण बात करते कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी। प्रेट्र

येद्दयुरप्पा बोले, पांच दिन में बना लेंगे सरकार : भाजपा नेता येद्दयुरप्पा ने कहा कि उन्हें अगले चार से पांच दिन में राज्य में सरकार बना लेने का भरोसा है। उन्होंने कहा, 'कुमारस्वामी बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। यह बात कुमारस्वामी भी जानते हैं। वह सदन में बढ़िया भाषण देने के बाद पद से इस्तीफा दे देंगे।' बता दें कि पिछले साल चुनाव के बाद येद्दयुरप्पा मुख्यमंत्री बने थे। 224 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को 105 सीटें मिली थी। लेकिन वह विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर सके थे और विश्वास मत प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। (पेज-3 देखें)

चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण टला

श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश), आइएएनएस : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण आखिरी क्षण में टाल दिया। प्रक्षेपण यान 'बाहुबली' रॉकेट में आई तकनीकी खामी के चलते प्रक्षेपण से मात्र एक घंटे पहले उल्टी गिनती रोक दी गई।

मिशन कंट्रोल सेंटर की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मौजूदा लांच विंडो के तहत अब चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण संभव नहीं है। प्रक्षेपण की अगली तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। लांच विंडो वह समय होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है और उस दौरान दूसरे उपग्रहों से टकराने का खतरा भी कम होता है। इसरो के अधिकारी ने बताया कि तड़के2.51 बजे जीएसएलवी-एमके 3 रॉकेट से चंद्रयान-2 के प्रक्षेपण की पूरी तैयार कर ली गई थी, लेकिन रॉकेट में तकनीकी खामी का पता चलते ही मिशन कंट्रोल सेंटर ने ब्लास्ट से 56 मिनट 24 सेकेंड पहले तड़के 1.55 मिनट पर प्रक्षेपण टालने की घोषणा की। अधिकारी ने कहा, खामी का पता लगाकर उसे दूर करने में कम से कम 10 दिन का समय लग सकता है, उसके बाद प्रक्षेपण के नए कार्यक्रम के बारे में फैसला किया जा सकेगा। इसरो के दो पूर्व अधिकारियों ने बताया कि रॉकेट के दबाव बनाने वाली प्रणाली में खामी आई होगी। उन्होंने बताया कि ग्रहों के गतिमान रहने के चलते अंतर-ग्रहीय मिशन जटिल होता है।

भारत के लिए अहम मून मिशन : भारत के लिए यह मिशन बहुत अहम है। इस मिशन के सफल होते ही चंद्रमा पर अपना यान उतारने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ही चंद्रमा पर अपने यान उतारने में सफल रहे हैं। 4 मीटर लंबे और 640 टन के जीएसएलवी-एमके 3 रॉकेट से 3.8 टन के अंतरिक्ष यान चंद्रयान-2 को छोड़ा जाना था। इस मिशन पर 978 करोड़ रुपये की लागत आई है।

तीन खंडों वाला है चंद्रयान-2 : चंद्रयान-2 के तीन भाग हैं। पहला खंड ऑर्बिटर है जिसका वजन 2,379 किलोग्राम और उस पर आठ पेलोड हैं। दूसरा भाग लैंडर विक्रम है, जिसका वजह 1,471 किलोग्राम और चार पेलोड हैं। तीसरा भाग रोवर प्रज्ञान है, जिसका वजन 27 किलो है और इस पर दो पेलोड हैं। प्रज्ञान को विभिन्न वैज्ञानिक खोज करना है।

तीन स्टेज रॉकेट है 'बाहुबली' : चार टन तक के उपग्रह को ले जाने की क्षमता वाला प्रक्षेपण यान 'बाहुबली' ठोस ईंधन द्वारा संचालित होता है। दो स्ट्रैप-ऑन मोटर्स के साथ यह तीन चरण/ इंजन रॉकेट है। इसका दूसरे चरण का इंजन तरल ईंधन बूस्टर है और तीसरा क्रायोजेनिक इंजन है।

कहां उतरता चंद्रयान-2 : चंद्रयान-2 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भेजा जाना था, जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। यह भाग अत्यधिक ठंडा रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहां सीधी नहीं पड़ती।

प्रक्षेपण टालने की सराहना : रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के पूर्व वैज्ञानिक रवि गुप्ता ने कहा कि इस तरह के मिशन में ऐसी तकनीकी खामी आती रहती है। सबसे सराहनीय बात यह है कि वैज्ञानिकों ने बड़ा हादसा होने से पहले इसका पता लगा लिया।

खामियों का पता लगाने के लिए कमेटी का गठन : रॉकेट में आई खामी का पता लगाकर उसे दूर करने के उपाय सुझाने के लिए इसरो ने कमेटी का गठन किया है।

- **आखिरी वक्त में रॉकेट 'बाहुबली' में तकनीकी खामी का पता चला**
- **मौजूदा लांच विंडो में प्रक्षेपण संभव नहीं, नई तारीख का एलान बाद में**

इसरो के रॉकेट जियोसिंक्रोनस सेटेलाइट लांच व्हीकल-मार्क 3 में आई तकनीकी खामी के चलते चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण टालना पड़ा। प्रेट्र

कोख के कारोबार पर 10 साल तक की कैद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

किराए पर कोख यानी कमर्शियल सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए सरकार ने 'द सरोगेसी (रेगुलेशन) बिल, 2019' सोमवार को लोक सभा में पेश किया गया। इस विधेयक में कमर्शियल सरोगेसी को गैर-कानूनी ठहराया गया है और इसका उल्लंघन करने पर 10 साल के कारावास और 10 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

हाल के वर्षों में भारत सरोगेसी हब केतौर पर उभरा है जिसके चलते सरोगेट माताओं के शोषण की खबरें आ रही हैं। कानून के अभाव के चलते सरोगेसी का अंधाधुंध व्यवसायीकरण हुआ है। डॉक्टर और सरोगेसी क्लीनिक इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। विधि आयोग ने भी अपनी 228वीं रिपोर्ट में कानून बनाकर कमर्शियल सरोगेसी पर रोक लगाने की सिफारिश की है।

- **लोकसभा में पेश सरोगेसी विधेयक में 10 लाख तक जुर्माने का प्रावधान**
- **सिर्फ भारतीय दंपती को ही सरोगेसी से संतान प्राप्त करने की अनुमति**

डॉ हर्षवर्धन फाइल फोटो

स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने 'द सरोगेसी (रेगुलेशन) बिल, 2019' लोक सभा में पेश किया। इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सरोगेसी बोर्ड बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

सरोगेसी के व्यवसायिक इस्तेमाल के पहले अपराध पर पांच साल की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। अगर यह अपराध दोबारा किया जाता है तो कारावास की अवधि बढ़कर 10 साल और जुर्माने की राशि 10 लाख रुपये हो सकती है। सिर्फ उन भारतीय दंपतियों को ही सरोगेसी से संतान प्राप्त करने की अनुमति होगी जो संतान उत्पन्न करने में अक्षम हैं। ऐसे दंपती के लिए उनकी निकटवर्ती रिश्तेदार ही सरोगेट मां बन सकेगी। सरोगेट मां की उम्र 25 से 35 साल के बीच होनी चाहिए और उसका पहले से अपना एक बच्चा होना चाहिए। सरोगेट मां को सिर्फ एक बार ही सरोगेसी की अनुमति होगी। प्रस्तावित कानून के तहत सरोगेसी क्लीनिक का पंजीकरण अनिवार्य होगा और कोई भी व्यक्ति या क्लीनिक सरोगेसी का व्यवसायिक इस्तेमाल या प्रचार नहीं कर पाएगा।

'द सरोगेसी (रेगुलेशन) बिल 2019' की मुख्य बातें

- राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर सरोगेसी बोर्ड के गठन का प्रस्ताव
- सरोगेट मां संतान चाहने वाले दंपती की नजदीकी रिश्तेदार होनी चाहिए
- सरोगेट मां की उम्र 25 से 35 वर्ष और उसका अपना एक बच्चा होना चाहिए
- सिर्फ एक बार ही सरोगेट मां बन सकेगी कोई महिला
- सरोगेसी कारोबार करने पर 10 साल कारावास और 10 लाख रुपये का जुर्माना

बीएड कालेजों में अब पढ़ने और पढ़ाने वालों पर रहेगी नजर

नई दिल्ली : शिक्षकों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता बेहतर बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत सभी संस्थानों को छात्रों व शिक्षकों की रोजाना की उपस्थिति का ब्योरा आनलाइन देना होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इस बाबत निर्देश दिए हैं। सभी बीएड कालेजों और अन्य संस्थानों को माह भीतर बायोमीट्रिक मशीनें लगानी होंगी (पेज-4)

छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों ने आठ नक्सलियों का समर्पण कराया

सुकमा : छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा का दंश झेल रहे सुकमा में पहली बार ऐसा हुआ, जब ग्रामीणों ने समझाकर आठ नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए तैयार किया। इनमें एक नक्सली पर एक लाख रुपये का इनामी घोषित है। रविवार को आठों नक्सलियों को लेकर ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे और आत्मसमर्पण कराया। (पेज-6)

तरसे लोगों पर जमकर बरसे बदरा

देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को हुई झमाझम बारिश ने गर्मी से बेहाल लोगों को राहत प्रदान की। इंडिया गेट पर स्कूटर सवारों का अंदाज उनकी खुशी को बयां कर रहा है। एएनआइ

नई दिल्ली : बारिश के लिए तरस रहे दिल्लीवासियों पर बदरा जमकर बरसे। सोमवार सुबह से ही मौसम करवट ले रहा था। हवा भी चल रही थी और बादलों एवं सूरज के बीच आंखमिचौली भी। दोपहर बाद तीन बजे के एकाएक काली घटा छा गई। इतना अंधेरा छा गया कि वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलानी पड़ गई। इसके बाद जो झमाझम बारिश शुरू हुई, वह घंटे भर तक चली। झमाझम बारिश से तापमान में भी चार डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से एक डिग्री कम) दर्ज किया गया। स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान भी हल्की मानसूनी बौछारें दिल्ली को भिगोती रहेंगी। हिमालय के तराई क्षेत्रों पर टिकी मॉनसून ट्रफ के दिल्ली के करीब आने के चलते बुधवार से बारिश तेज होगी।

उठा सवाल

चौके-छक्कों के आधार पर इंग्लैंड को विश्व चैंपियन बनाने वाले नियम की हो रही आलोचना, फाइनल में 'गेंद को अवरोध' पहुंचाने के नियम में भी हुई गलती

न्यूजीलैंड के साथ हुए 'छल' से निशाने पर आइसीसी

अभिषेक त्रिपाठी ● लंदन

क्रिकेट के जनक इंग्लैंड का पहली बार विश्व कप जीतने का जश्न विवादों में घिर गया और दुनिया भर के प्रशंसक और मीडिया उपविजेता न्यूजीलैंड को छला हुआ बता रहे हैं। रविवार को लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में सुपर ओवर टाई होने के बाद चौके-छक्कों के आधार पर इंग्लैंड को विजेता घोषित किया गया। यही नहीं साइमन टॉफेल सहित कई अंपायरों ने बेन स्टोक्स के बल्ले में लगकर बाउंड्री के लिए गई गेंद पर छह रन देने के फैसले को भी गलत बताया। इससे दुनियाभर में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) की आलोचना हो रही है।

न्यूजीलैंड की मीडिया ने इसे अपनी टीम के साथ छल बताया है। कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी आइसीसी के नियम को हास्यास्पद करार दिया है। रविवार को लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। पहले 50-50 ओवर का मैच टाई रहा। बाद में सुपर ओवर भी टाई हो गया। आइसीसी के बनाए गए नियमों के आधार पर इंग्लैंड को इसलिए विजेता घोषित किया गया क्योंकि उसने न्यूजीलैंड के 17 चौकों-छक्कों (पारी और सुपर ओवर को मिलाकर) से ज्यादा 26 बाउंड्री लगाई थीं। युवराज सिंह, गौतम गंभीर, स्कॉट स्टायरिस, मुहम्मद कैफ, चेतेश्वर पुजारा और ब्रेट ली सहित दुनिया भर के क्रिकेटरों ने इसे आइसीसी का बेतुका नियम बताया है।

इसको लेकर न्यूजीलैंड की मीडिया में भारी गुस्सा है। न्यूजीलैंड हेराल्ड ने लिखा, 'क्रिकेट विश्व कप फाइनल : 22 नायक और कोई विजेता नहीं।' वहीं न्यूजीलैंड के पूर्व कोच माइक हेसन ने कहा कि विश्व कप फाइनल का फैसला सुपर ओवर के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए था। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और इंग्लिश कप्तान इयोन मॉर्गन दोनों को संयुक्त रूप से विश्व कप ट्रॉफी दी जानी चाहिए थी। इस तरह का फाइनल कोई भी टीम नहीं हारना चाहेगी।

छह रन देने पर भी सवाल : पूर्व अंतरराष्ट्रीय अंपायर व मेरिलबोर्न क्रिकेट कमेटी की उपसमिति के सदस्य साइमन टॉफेल ने इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन स्टोक्स के बल्ले से लगकर चौके के लिए गई गेंद पर मैदानी अंपायरों के छह रन देने के फैसले को गलत बताकर विवाद को और गहरा दिया। 242 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड को जीत के लिए उस समय तीन गेंदों पर नौ रन की जरूरत थी। न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल ने थ्रो फेंका और गेंद रन पूरा करने के लिए डाइव लगाने वाले बल्लेबाज स्टोक्स के बल्ले से लगकर चौके के लिए चली गई। अंपायरों ने दो रन दौड़ने और एक चौके को मिलाकर कुल छह रन इंग्लैंड के खाते में जोड़ दिए लेकिन टॉफेल का कहना है कि यहां पर एमसीसी के 'गेंद को अवरोध' पहुंचाने के नियम का गलत इस्तेमाल हुआ। इसमें सिर्फ पांच रन ही मिलने चाहिए थे क्योंकि थ्रो फेंके जाने के समय स्टोक्स और आदिल राशिद ने दूसरे रन के लिए एक-दूसरे को क्रॉस नहीं किया था। अगर ऐसा होता तो सुपर ओवर की जरूरत ही नहीं पड़ती और न्यूजीलैंड विश्व विजेता हो जाता।

दिल तोड़ने वाली हार के बाद नीशाम बोले, बच्चों मत बनना खिलाड़ी

लंदन : आइसीसी विश्व कप 2019 के फाइनल मैच में जेम्स नीशाम ने कीवी टीम को लगभग विश्व चैंपियन बना ही दिया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मार्टिन गुप्टिल के आउट होने से टीम खिताब अपने नाम करते-करते रह गई। नीशाम ने इस मैच के बाद एक ऐसा ट्वीट किया है, जिसे पढ़कर आपकी आंखें भर जाएंगी। नीशाम ने बच्चों को सलाह दी है कि वो खेल ना चुनें और खिलाड़ी ना बनें। उन्होंने ट्वीट में लिखा, बच्चों! खिलाड़ी मत बनना, बेकर बन जाओ या कुछ और बन जाओ। मोटे होकर 60 साल की उम्र में खुशी से मर जाना, लेकिन क्रिकेटर मत बनना।

(संबंधित सामग्री पेज-12 पर)

एनपीसीसी रिश्वत मामले में सीबीआइ ने दो अफसरों समेत सात को पकड़ा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीबीआइ ने नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एनपीसीसी) लिमिटेड के दो वरिष्ठ अधिकारियों समेत सात लोगों को कथित रूप से 40 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के लिए गिरफ्तार किया है। बीएसएफ की सीमा चौकी निर्माण से संबंधित बिल पास करने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। यह जानकारी सोमवार को अधिकारियों ने दी।

जांच एजेंसी ने एनपीसीसी के जोनल मैनेजर राकेश मोहन कोटवाल, मैनेजर लतिफुल पाशा और पांच अन्य (श्री गौतम कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक अनीश बैद, कंपनी के निदेशक बिनोद सिंघी, कंपनी में कर्मचारी रमेश कुमार, कोटवाल के रिश्तेदार सुनील कुमार और धर्मेंद्र कुमार नामक व्यक्ति) को गिरफ्तार किया है। सुनील ने कोटवाल की ओर सफदरजंग एन्क्लेव इलाके में एक होटल में रमेश कुमार से 25 लाख की रिश्वत ली। शनिवार को सीबीआइ की टीम ने छापेमारी कर रंगे हाथों उसे गिरफ्तार कर लिया। अन्य को बाद में आरोपितों से पूछताछ के आधार पर गिरफ्तार किया गया। अधिकारी ने बताया कि सीबीआइ को लेनदेन के बारे में गुप्त सूचना मिली थी और उसके बाद छापेमारी की गई। बाद में दिल्ली, सिलचर, जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी और ग्वालियर में 18 स्थानों पर तलाशी ली गई। आरोप है कि कोटवाल और पाशा ने बैद से 33 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।

बैद ने कोटवाल को बिल क्लीयर होने के बाद भुगतान का भरोसा दिया था। कोटवाल ने उसे बिल तैयार करने और पिछली तिथि से प्रोसेस करने का सुझाव दिया था। साथ ही उसने बैद को कथित रूप से तीन लाख रुपये असम के सिलचर में एनपीसीसी जोनल कार्यालय में कार्यरत कार्यालय सहायक को प्रारंभिक भुगतान करने को कहा। सीबीआइ ने कहा, तीन दिनों बाद बैद ने असम के व्यापारी विनीत अग्रवाल के माध्यम से 25 लाख रुपये देने की व्यवस्था की। यह भुगतान हवाला चैनल से किया गया।

बीएसएफ की सीमा चौकी निर्माण से संबंधित बिल पास करने के नाम पर मांगी गई थी 40 लाख की रिश्वत